



**MP Forest
Department**

कार्यालय सामान्य, वन मंडल छतरपुर म. प्र.
जवाहर रोड, छतरपुर (म.प्र.) 471001 ☎ 07682-245316 (O.), 245316 (Fax)
E-mail: dfotchtpur@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/102
प्रति,

छतरपुर, दिनांक 6-1-23

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग
रा.रा. संभाग सागर

विषय :- छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 एक्सटेंशन गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वनभूमि म0 प्र0 सड़क विकास निगम सागर को उपयोग पर देने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपको संबोधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/865/2019/10-11/1786 भोपाल दिनांक 29.05.2019 द्वारा छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 एक्सटेंशन गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एमपीसी026/2019-बीएचओ/409 दिनांक 24.05.2019 से 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी, जो कि आपसे संबंधित है।

आपके द्वारा दिनांक 28.11.2022 द्वारा वनमंडल छतरपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्ताव बिना किसी पूर्ति के सम्प्रेषित किया गया है। यदि आपके द्वारा सीधे प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल को जानकारी सम्प्रेषित की गई है तो 01 प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करवायें।

संलग्न-वरिष्ठ के पत्र की छायाप्रति।

(वेणी प्रसाद दौतानिया)

वन मण्डलाधिकारी

सा. वन मण्डल छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 6-1-23

पृष्ठां. क्रमांक/मा.चि./2023/103

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी

सा. वन मण्डल छतरपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/865/2019/10-11/1786 भोपाल, दिनांक 29-5-19

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
म0प्र0 सड़क विकास निगम,
सागर, मध्यप्रदेश।

विषय:- छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 एक्सटेंशन गुलगंज-अमानगंज-पवई- कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वन भूमि म0प्र0 सड़क विकास निगम, सागर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPC 026/2019-BHO/409 दिनांक 24.05.2019।

—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार कार्यालय में दिनांक 17.05.2019 को आयोजित 35वीं R.E.C. की बैठक में विषयांकित प्रकरण में 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। अतः आप निम्न जानकारी प्रस्तुत करें:-

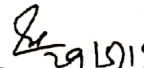
1- वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर का प्रमाण पत्र अपलोड कर हार्डकॉपी में भिजवायें।

2- प्रस्तावित वन भूमि को DSS पर देखने पर यह स्पष्ट होता है कि कक्ष क्रमांक RF-71 जो परिक्षेत्र बड़ा मलहेरा में भी आता है, का कुछ भाग वन क्षेत्र के बाहर का ले लिया गया है तथा कुछ भाग वन क्षेत्र का लिया जाना छूट गया है। अतः KML file में संशोधन करें।

3- उपरोक्त प्रकरण राज्य शासन स्तर से संचालित हो रहा है, अतः नवीन गाइड लाईन के अनुसार समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध करावें।

उपरोक्त जानकारी ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी में शीघ्र इस कार्यालय को भिजवाये ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29-5-19

पृ. क्रमांक/एफ-5/865/2019/10-11/1786

प्रतिलिपि:-

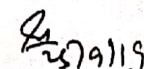
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर मध्यप्रदेश की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल छतरपुर की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा चाही गई निम्न जानकारी भिजवायें:-

(i) प्रकरण में आवेदक संस्थान MPRDC है। अतः भारत सरकार की नवीन गाइड लाईन 2019 के अनुसार आवेदक संस्थान से व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि प्राप्त कर उस पर 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर उसकी KML file, जियो रिफरेंस मेप एवं सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट अपलोड कर हार्डकॉपी भेजें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल